राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट **जयपुर, दिनांक : 19 AUG 2021**

आदेश

विषयः Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत आउट डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भः वित्त (बीमा) विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 दिनांक 9-4-2021 एवं वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी मेमोरेण्डम क्रमांक प. 1(4)वित्त/नियम/2021 दिनांक 15-4-2021 तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.6(1)वित्त/नियम/2021 दिनांक 16-7-2021.

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचनाओं एवं मेमोरेण्डम के क्रम में Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत Health Care Network Provider यथा अनुमोदित निजी चिकित्सालयों आदि में RGHS कार्ड धारक हेतु इनडोर चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है।

Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) के अन्तर्गत RGHS कार्ड धारक को कैशलेस आउटडोर चिकित्सा की सुविधा दिये जाने में सहकारिता उपभोक्ता भण्डार के सुदृढ़ीकरण एवं E-pharma Store के अधिकृत किये जाने से RGHS पोर्टल के माध्यम से Health Care Network Provider (HCNP) के द्वारा आउट डोर उपचार सुविधा प्रदान करने में समय लगने की संभावना है।

इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए RGHS कार्ड धारक को RGHS के अन्तर्गत आउटडोर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने पर पुनर्भरण में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, इस हेतु राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 22 में उल्लेखित प्रावधान के अन्तर्गत जब तक **आउट डोर चिकित्सा की सुविधा पूर्णतः RGHS पोर्टल के माध्यम से प्रारम्भ नहीं हो अथवा दिनांक 30-9-2021 जो अवधि पहले हो,** तक राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के अन्तर्गत पूर्व व्यवस्था अनुसार RGHS के अन्तर्गत अधिकृत Health Care Network Provider (HCNP) में आउट डोर चिकित्सीय उपचार कराकर दिनांक 16-7-2021 से पूर्व की व्यवस्था के अनुसार निर्धारित सीमा में चिकित्सा व्यय का पुनर्भरण ले सकेंगे। इनडोर उपचार हेतु RGHS पोर्टल के माध्यम से अधिसूचना दिनांक 16-7-2021 के प्रावधान अनुसार एवं RGHS के अन्तर्गत जारी विभिन्न आदेश / परिपत्रों के अनुसार कैशलेस चिकित्सा सुविधा ही देय होगी।

यह सुविधा राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना, 2021 के अन्तर्गत RGHS कार्ड धारक पेंशनर्स हेतु भी लागू रहेगी और वे पूर्व की व्यवस्था के अनुसार मेडिकल डायरी के माध्यम से आउट डोर उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे तथा आउट डोर उपचार पर हुए चिकित्सीय व्यय का पुनर्भरण पूर्व की व्यवस्था के अनुसार ले सकेंगे।

यह आदेश दिनांक 16-7-2021 से प्रभावी माने जायेंगे।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

D:\WORD\Order_Hindi.docx

Copy forwarded to the -

1. Secretary to Hon'ble Governor
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister
3. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers
4. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries/ Special Secretaries to the Government
5. Senior DS to Chief Secretary
6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur
7. All Heads of the Departments
8. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur
9. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office
10. All Treasury Officers
11. All Sections of the Secretariat
12. Administrative Reforms (Gr.7)
13. Vidhi Rachana Sanghthan for Hindi translation
14. Technical Director, Finance Department (Computer Cell)
15. Guard File

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur

19/8/21

(S.Z. Shahid)
Joint Secretary to the Government

(RSR 32 / 2021)

D:\WORD\Order_Hindi.docx